FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (ब्यावर)

.....गोविंद विश्वकर्मा..... बनाम .....तहसीलदार जैतारण.....
पदेन रामनिवास

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .....275...../ सन् 2025

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26/9/25	वकील सा. उपस्थित। वकील सा. ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध गै.सा. अन्तर्गत धारा .....131,111,156..... RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। गै. सा. को जरिये नोटिसेज तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक ..01/9/25..... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (ब्यावर)	8 बजे 26/9/25
1/9/25	सुनवाई पंच हुई आज S,D.O. साहब दौरे पर, दिनांक 26/9 के स्टे वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 16/09/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)	
11/9/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्षकार उपस्थित, तहसीलदार जैतारण के जवाब प्राप्त मय मोके फर्द पेश किए, पक्षकार को नकल प्राप्त कर सुनाई गई। पत्रावली पर दस्तावेजात मय जवाब प्राप्त आदि का गहनता से अध्ययन किया। नकल पर मनन किया गया। मनन उपयुक्त विश्लेषण के आलोक में पाया गया प्रार्थी नवरूनी लाभित होने व लाभान्वित होने के लीहाज किया जाता है। विद्वान निर्णय पृथक से लिखा जाकर लागू किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजी जावे। तकमील जारी हो। पत्रावली कैपल शुमार होकर नम्बर के मल हो। बाद तामील मय दारिज दफ्तर लेख। अन्जाम मय हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (ब्यावर)	